

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम  
मुंबागण, लखनऊ ।

पत्र संख्या 1689 एम्/06/31 एम्/98 दिनांक 29, 2006

उत्तम अधिकारी,  
राज्य सेवा/सहायक प्रबन्धक उत्तम,  
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, मुख्यमन्त्र, लखनऊ ।


विषय:- निदेशक महल द्वारा वाह्य रोगी के लय में कराये गये चिकित्सा व्यय प्रति पूर्ति की स्वीकृति हेतु प्रतिनिधियान के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराता है कि निदेशक महल ने दिनांक 7.7.2006 को आयोजित 164वीं बैठक के प्रद संख्या 14 के संकय संख्या 3529 में निम्न निर्णय किया है :-

\* वाह्य रोगी के लय में कराये गये चिकित्सा व्यय के प्रतिपूर्ति के संबंध में अधिकारों को निम्नलिखित प्रतिनिधियान किया जाता है :-

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का विवरण	स्वीकृति हेतु अधिक अधिकारी
1. ₹0 10,000/- तक के प्रत्येक प्रकरण	चिकित्सा नियंत्रक
2. ₹0 10,000/- से ऊपर ₹0 30,000/-तक के प्रत्येक प्रकरण	अपर प्रबन्ध निदेशक
3. ₹0 30,000/- से ऊपर ₹0 50,000/-तक के प्रत्येक प्रकरण	प्रबन्ध निदेशक

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त निर्णयानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

  
जयप्रकाश  
सहायक प्रबन्धक राजसेवा लेड  
12/08/06